| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 22/5/17 | प्रार्थिनी श्रीमती लोक अदालत न्यायालय के वाद 2017 में कैम्प लक्ष्मीपुर में पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित आये। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में विवादित आराजी खा.नं. 56 ग्राम दीनपुरा तौलपैमाइश सं. 2015 में चारागाह दर्ज हुई है। तौलपैमाइश इन्द्राज को धारा 136 LR Act के तहत संशोधित किये जाने का प्रावधान नहीं है एवं पूर्व रिकार्ड संशोधन के सम्बन्ध में धारा 88 R.T. Act के तहत नियमानुसार न्यायालय में घोषणा के वाद में ही कार्यवाही की जा सकती है एवं चारागाह भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय दावा को उक्त प्रापण हुआ का क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रापण प्रार्थी श्रीमती विद्यावती की प्रार्थना निरस्त की जाकर वाद को खारिज किया जाता है। पक्षकार अपना अपना खर्चा वहन करेंगे। | 24/7/18 11/5/17 |

उपखण्ड अधिकारी